FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

कोजाराम वगैरा बनाम मानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. आ. 111, 138 RLR Act नं. 10 129/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/04/17	प्रार्थी/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सहारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 138 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/05/17 को पेश हो।	
09/05/17	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेतों का पूर्व में सीमाज्ञान करवाया गया जो सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान-2017 कैम्प कोर्ट ~~[illegible]~~ में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/06/2017 को पेश हो।	
20/06/17	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सवाऊ पदमसिंह में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी के खातेदारी खेत के चारों ओर पक्की माईन्डे व मेड़बन्दी नहीं होने से प्रार्थी के अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर नियम स्थापित	

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तकासमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर तकासमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तकासमबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की तकासमबन्दी मौके पर कायम जमा कराकर दें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मिसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(न्याय आपके द्वार 2017 केम्प कोर्ट, सवाउ पदमसिंह)

कमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 1062

दिनांकः– 14 / 07 / 2017

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

1. कोजाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 14 जाति मेघवाल निवासी सवाउ पदमसिंह तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

1. मानाराम पुत्र अजाराम वगैरा 10 निवासी सवाउ पदमसिंह तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 129 / 17

आदेश

मौजा सवाउ पदमसिंह पटवार मण्डल सवाउ पदमसिंह भू अभिलेख निरीक्षक सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 349, 350 रकबा क्रमशः 04.00 बीघा, 163.04 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 14 / 07 / 2017

कमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 1063-67

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सवाउ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कोजाराम पुत्र सोनाराम वगैरा 14।
4. विप्रार्थी श्री मानाराम पुत्र अजाराम वगैरा 10।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु